भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय अनुसंधान स्थात्र, जैसलमेर
राजस्थान - 345 001
Website: www.cazri.res.in, Email: Mavji.Patidar@icar.gov.in
Phone No. 02992 – 252412(HD RRS, Jaisalmer)

क्रमांक / जैसल / सेवण घास / काजरी / 2019–20 / दिनांकः–27 / 02 / 2020

निविदा सूचना

काजरी, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, जैसलमेर स्थित चांदन फार्म में लगभग 40 से 50 हैक्टेयर में सेवण घास खड़ी है इस घास को जैसी अभी खड़ी है उसी स्थिती में नीलाम करवाना है जिसमें कटाई करवाना, इकट्ठा करना व वाहन मे ले जाना लेबर सम्बन्धित सभी खर्चा निविदाकर्ता को होगा। आवेदक को निविदा प्रपत्र के साथ नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पेनकार्ड, आधार कार्ड अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र फोटो युक्त दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी। धरोहर राशि रू. 5000 / –(रूपये पाँच हजार) के बिना निविदा अमान्य होगी देय तिथि के बाद डाक द्वारा प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्तो का प्रपत्र आप काजरी कार्यालय जैसलमेर से दिनांक 09 / 03 / 2020 से 16 / 03 / 2020 तक ले सकते है एवं काजरी वेब साईट www.cazri.res.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र दिनांक 17 / 03 / 2020 को अपराह्न 02:00 P.M बजे तक टेन्डर बॉक्स में डाली जायेगी एवं उसी दिन दिनांक 17 / 03 / 2020 को अपराह्न 03:00 P.M बजे तक निविदा खोली जायेगी।

Mavji

अध्यक्ष
काजरी, जैसलमेर

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

दैनिक भास्कर

राजस्थान

बाड़मेर, शुक्रवार, 28 फरवरी, 2020 फाल्गुन, शुक्ल पक्ष-5, 2076

बाजार

9

दैनिक भास्कर, बाड़मेर, शुक्रवार 28 फरवरी, 2020

भा. कृ. अनु. प. - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय अनुसंधान स्थान, जैसलमेर, राजस्थान - 345001

Website: www.cazri.res.in, Email: Mavji.Patidar@icar.gov.in
Phone No. 02992-252412 (HD RRS, Jaisalmer)

क्रमांक/ जैसल/ सेवण घास/ काजरी/ 2019-20/ दिनांक:- 27.02.2020

-:: निविदा सूचना ::-

काजरी, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, जैसलमेर स्थित चांदन फार्म में लगभग 40 से 50 हैक्टेयर में सेवण घास खड़ी है इस घास को जैसी अभी खड़ी है उसी स्थिती में नीलाम करवाना है जिसमें कटाई करवाना, इकट्ठा करना व वाहन में ले जाना लेबर सम्बन्धित सभी खर्चा निविदाकर्ता को होगा। आवेदक को निविदा प्रपत्र के साथ नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पेनकार्ड, आधार कार्ड अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र फोटो युक्त दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी। धरोहर राशि रू. 5000/- (रूपये पाँच हजार) के बिना निविदा अमान्य होगी देय तिथि के बाद डाक द्वारा प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्तो का प्रपत्र आप काजरी कार्यलय जैसलमेर से दिनांक 09.03.2020 से 16.03.2020 तक ले सकते है एवं काजरी वेब साईट www.cazri.res.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र दिनांक 17.03.2020 को अपरान्ह 02:00 PM बजे तक टेन्डर बॉक्स में डाली जायेगी एवं उसी दिन दिनांक 17.03.2020 को अपरान्ह 03:00 PM बजे तक निविदा खोली जायेगी।

अध्यक्ष
काजरी, जैसलमेर

भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय अनुसंधान स्थात्र, जैसलमेर
राजस्थान - 345 001
Website: www.cazri.res.in, Email: Mavji.Patidar@icar.gov.in
Phone No. 02992 – 252412(HD RRS, Jaisalmer)

क्रमांक/जैसल/सेवण घास/काजरी/2019–20/ दिनांकः–27/02/2020

निविदा सूचना

काजरी, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, जैसलमेर स्थित चांदन फार्म में लगभग 40 से 50 हैक्टेयर में सेवण घास खड़ी है इस घास को जैसी अभी खड़ी है उसी स्थिती में नीलाम करवाना है जिसमें कटाई करवाना, इकट्ठा करना व वाहन मे ले जाना लेबर सम्बन्धित सभी खर्चा निविदाकर्ता को होगा। आवेदक को निविदा प्रपत्र के साथ नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पेनकार्ड, आधार कार्ड अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र फोटो युक्त दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी। धरोहर राशि रू. 5000/–(रूपये पाँच हजार) के बिना निविदा अमान्य होगी देय तिथि के बाद डाक द्वारा प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्तो का प्रपत्र आप काजरी कार्यालय जैसलमेर से दिनांक 09/03/2020 से 16/03/2020 तक ले सकते है एवं काजरी वेब साईट www.cazri.res.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र दिनांक 17/03/2020 को अपराह्व 02:00 P.M बजे तक टेन्डर बॉक्स में डाली जायेगी एवं उसी दिन दिनांक 17/03/2020 को अपराह्व 03:00 P.M बजे तक निविदा खोली जायेगी।

अध्यक्ष
काजरी, जैसलमेर

(प्रपत्र– अ)

व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार का विवरण

1. व्यक्ति/फर्म/एजेन्सी का नाम व पता :

   मैसर्स/श्री...

   पता...

   ....

मोबाईल नं. ....

2. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नंबर (यदि हो तो): ....

3. जी.एस.टी./सर्विस टैक्स नंबर (यदि हो तो, अनिवार्य नहीं) : ....

4. नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र/फोटोयुक्त दस्तावेज की फोटो प्रतिः ....
   ....
   ....

5. व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार के बैंक का नाम व पता : ....बैंक का आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड नम्बर :.. बैंक खाता नम्बर : .... (सही सूचना के लिए चैक की छाया प्रति संलग्न करे)

6. धरोहर राशि (Bid security)–रू. 5,000/–ICAR Unit-CAZRI, Jodhpur के पक्ष में देय हो। डी.डी. /बैंकर चैक नं. .... दिनांक ....बैंक का नाम .... प्रस्तुत करें ।

7. प्रपत्र को बिना कॉट–छॉट के साफ–सुथरा भर कर मोहर (यदि फर्म हो) सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि ....अथवा इसके पूर्व **अध्यक्ष, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, जैसलमेर** के नाम भेजें/प्रस्तुत करें। लिफाफे पर **"सेवण घास कटाई एवं क्रय हेतु आवेदन/कोटेशन**" लिखा होना चाहिए।

(प्रपत्र–ब)

<u>काजरी क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, जैसलमेर के चांधन प्रक्षेत्र स्थित खड़ी सेवण घास की कटाई एवं क्रय हेतु अनुबन्ध की नियम व शर्तें</u>

1. आवेदन/कोटेशन प्रस्तुतिः कोटेशन/आवेदन में आवेदनकर्ता को वांछित दस्तावेजों तथा प्रपत्रों को भर कर व प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर कोटेशन/आवेदन जमा कराने की अन्तिम तिथि या उससे पहले **काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, जैसलमेर** में जमा कराना होगा।
2. कोटेशन/आवेदन के साथ उल्लेखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
3. आवेदक व्यक्ति/फर्म/एजेन्सी का अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि/स्वयं उपस्थित होकर संबंधित काजरी चांदन फार्म की खड़ी घास का जायजा कार्यालय समय के दौरान कर सकते हैं।
4. आवेदक को कोटेशन प्रपत्र में अंकित किये जाने वाले नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड अथवा अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र फोटोयुक्त दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. आवेदन भरते समय कोटेशन में व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर (यदि हो तो) अवश्य लिखें।
6. सशर्त कोटेशन मान्य नहीं होगा।
7. काजरी, आर.आर एस, जैसलमेर के काजरी चांधन प्रक्षेत्र पर खड़ी सेवण घास की कटाई हेतु अनुबन्ध के लिये विवरण –

1	कार्य का नाम	सेवण घास की कटाई एवं क्रय
2	अनुमानित क्षेत्रफल	40 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर (लगभग)
3	विशेष विवरण	चांदन फार्म में 40 हैक्टेयर से 50 हेक्टेयर (लगभग) में सेवण घास खड़ी है उसको खरीदने के लिए निविदायें आमंत्रित की जा रही है जिसमें कटाई करना, लेबर लगाना, इकट्ठा करना व उसको ले जाने का पूरा खर्चा कटाई से लेकरके ले जाने का पूरा खर्चा निविदाकर्ता का होगा।

8. अनुबन्ध की अवधि आदेश प्राप्ति से **45 दिन** तक रहेगी। यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व जमानत राशि (EMD) जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
9. कोटेशन/आवेदन प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूची में दर्शाया गया है)। कोटेशन केन्द्र के अध्यक्ष महोदय के नाम काजरी, जैसलमेर कार्यालय में दिनांक................अथवा इसके पूर्व प्रस्तुत करनी है। सशर्त, ई–मेल द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त कोटेशन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक/अनुबंधकर्ता के पास पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइवर लाइसेन्स/अन्य सरकारी पहचान पत्र की फोटोप्रति कोटेशन/आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर कोटेशन/आवेदन को स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
10. आवेदनकर्ता को रु. 5000.00 (पांच हजार मात्र) रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ICAR Unit, CAZRI, Jodhpur के नाम से अमानत राशि (EMD) का ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ लगाना होगा। बिना अमानत राशि (EMD) के कोटेशन/आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल आवेदक को कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार जो अधिकतम बिड की राशि होगी वो पूरी जमा करानी होगी।
11. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये संस्थान के लिए अधिकतम मात्रा एवं उसकी अधिकतम क्रय दर ही स्वीकार किया जायेगा । खड़ी घास को कितने में खरीदना है उसका अनुमान लगा करके कोटेशन/टेण्डर में कुल रूपये भरने है।
12. घास काटने के लिए आवश्यक श्रमिक उपकरण अनुबंधकर्ता को स्वयं उपलब्ध कराने होंगे। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता/अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।

13. ठेकेदार को ठेका कार्य के दौरान मजदूरो को आधारभूत सुविधाऍ स्वयं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
14. खड़ी घास खरीदने की रेट जो कोटेशन/टेण्डर में भरी जायेगी जिसकी रेट ज्यादा होगी उसको घास काटने का आदेश दिया जायेगा एवं उसको क्रय की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ICAR Unit, CAZRI, Jodhpur के नाम से देय होगा एवं काजरी जैसलमेर कार्यालय में जमा कराना होगा।
15. कटाई पश्चात् उठाई में देरी होने पर घास खराब होने अथवा किसी प्रकार की हानि होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु–पक्षियों को नुकसान पहुॅचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले उस संविदा मजदूर तथा संबंधित ठेकेदार के विरूद्व आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
17. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी प्रक्षेत्र/फार्म अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्ण करना प्रमाणित किया जायेगा, उसके बाद ही घास उठाई जायेगी।
18. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तोषजनक नहीं होने पर आवेदनकर्ता/अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि (EMD) को जब्त कर ली जायेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी एवं भविष्य में संस्थान में किसी भी प्रकार के अनुबन्धों से बाहर कर दिया जाएगा।
19. सेवण घास की कटाई तक सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
20. ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुॅचाए। फार्म/प्रोजेक्ट क्षेत्र में चल रहे अनुसन्धान, फल एवं वृक्षों इत्यादि को नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
21. ईन्चार्ज द्वारा बताये गये सभी निर्देशानुसार (मौखिक या लिखित) समय पर पूर्ण करने होगें जिससे कि सेवण घास कटाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ें।
22. अनुसंधान क्षेत्र/प्रोजेक्ट क्षेत्र के भीतर कोई भी आदमी या जानवर बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए एवं फेंसिंग/अनुसंधान सामग्री को कोई क्षति/नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई क्षति/नुकसान होता है तो उसका खर्च ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।
23. कार्यावधि में ठेकदार के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
24. अनुबंध के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर प्रतिदिन अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
25. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा संस्थान की संम्पति कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी पूर्ति स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि (EMD) जब्त कर ली जावेगी।
26. विविध प्राकृतिक कारणों से सेवण घास की कटाई व अन्य कार्य प्रभावित होने पर ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति नहीं देय होगा।
27. सेवण घास की कटाई का कार्य प्रभारी फार्म अनुभाग चांदन या उनके प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
28. अनुबन्धकर्ता/आवेदनकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि (EMD) अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
29. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, (राजस्थान) को होगा, जो आवेदक/अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
30. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी टेन्डर/कोटेशन आवेदन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

अध्यक्ष
काजरी,जैसलमेर

(प्रपत्र–स)

<u>आवेदक / ठेकादार / फर्म / एजेन्सी / कम्पनी द्वारा घोषणा</u>

1. I,____son/daughter/wife of Shri ____ Proprietor/Director/authorized signatory of the Company/Firm mentioned above, is competent to sign this declaration and execute this tender document.
2. I have carefully read and understood all the terms and conditions of the tender and undertake to abide to them.
3. The information/documents furnished along with the above tender form are true and authentic to the best of my knowledge and belief. I am well aware of the fact that furnishing of any false information/fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

Signature & Name of the authorized

Signatory with Seal of the Firm

Place:

Date:

(प्रपत्र–द)

CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH TENDER/QUOTATION FAILING WHICH THE TENDER/QUOTATION WILL BE LIABLE TO BE REJECTED:

S. No.	Documents to be submitted	Whether Submitted or not	Remarks
1.	Details of EMD deposited Rs. 5,000/-		
2.	Copy of PAN/Aadhar Card/Voter ID/any other authentic ID		

Signature

Full Name of Applicant

(प्रपत्र–य)

कोटेशन

सेवा में,
निदेशक, काजरी, जोधपुर।

विषयः–**काजरी जैसलमेर के अनुसंधान प्रक्षेत्र चांधन स्थित सेवण घास की कटाई एवं क्रय के लिए आवेदन/कोटेशन।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में हमारे द्वारा प्रस्तावित आवेदन/कोटेशन इस प्रकार हैः–

क्र.सं.	कार्य	अनुमानित क्षेत्रफल	संस्थान की खड़ी घास की क्रय दर
1.	सेवण घास की कटाई एवं क्रय	40 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर (लगभग)	....

नोटः अनुबंध कार्य संस्थान को उसकी अधिकतम क्रय दर देने वाले अनुबंधकर्ता को दिया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

मैसर्स/श्री...

....

दिनांकः ....

स्थान : ....